न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

03 / 2022
एमएस 2022 / 65

यशवीर गौदारा पुत्र श्री सुशील कुमार जाति बिश्नोई , निवासी 35 एम एल (बारावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज)
सिद्वांत बिश्नोई पुत्र श्री सुशील कुमार जाति बिश्नोई , निवासी 35 एम एल (बारावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज) नाबालिग जरिये कुदरती वली सरपरस्त माता उर्मिला देवी पत्नी श्री सुशील कुमार जाति बिश्नोई , निवासी 35 एम एल (बारावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज)

– वादीगण

बनाम

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री भजन लाल जाति बिश्नोई , निवासी 35 एम एल (बारावाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– श्री गुरप्रताप सिहं धारीवाल अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादी गण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

रजू दिनांक 11.01.2022

अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राज.काश्त. अधिनियम।

–: निर्णय :–

दिनांक:–30.5.2024

1. सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी यशवीर –सिद्वांत पुत्रगण श्री सुशील कुमार जाति बिश्नोई सा 35 बारावाली (बारावाली) तहसील रायसिंहनगर ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राज.काश्त. अधि. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी सं.1 की वैध सतान हैं । प्रतिवादी सं 1 राजकीय सेवा में है। वादीगण के पूर्वजो की बिरास्तन से प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर के प.न. 123 / 304 मु.न. 7 कि .न. 11–12–13–20 व 21 के 4–10बीघा यानि 1.138 है. भूमि के साथ पं.न. 125 / 306 मु.न. 18 के कि.न. 5 / .228, 6 / 1 के 0.111, 6 / 2के 0.142है. 15 / 4 के 0.140, 16 / 6 के 0.011, 25 / 2 के 0.010 है.कुल 0.632 है. नहरी / बारानी व प न. 129 / 308 मु.न. 29 के कि.न. 3–4 प्रत्येक 0.253, कुल 0.506 है. बारानी व प.न. 130 / 308 के मु न. 28 के कि.न. 6 / .253, 7 / के 0.063, 13 / 0.03810 , 14 / 0.228, व 15 के 0.253 है.कुल 0.835है नहरी कुल तादाद 3.111है. नहरी / बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व अभिलेखो में दर्ज हुई। चूंकि उक्त वर्णित रकबा प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित न होकर पूर्वजों से प्राप्त होने से पुश्तैनी व पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होने से वादीगण का प्रतिवादी सं.1 की बैध संतान होने से वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर यानि प्रत्येक एक का 1 / 3 , 1 / 3 हिस्सा यानि वादीगण का कुल 2 / 3 भाग अनुसार 2.074है0 रकबा पर जन्म से ही खातेदारी हित व अधिकार निहित हुये, जिन्हें वादीगण घोषित करवाते हुये तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल–दरामद करवा पाने के कानूनन अधिकारी है। वादीगण का आजीविका का एक मात्र साधन व स्त्रोत उक्त पुश्तैनी भूमि ही है। चूँकि वादीगण के पिता काफी अरसा से बुरी संगत में पड़ने से अपने पिता / पति के धर्म व कर्तव्य / दायित्वों के निर्वहन न कर जुओ व नशे की लत के शिकार हो चुके है ओर उक्त लत से उबर नहीं पाये बल्कि लत पूर्ति के लिये हर तरीके से रूपीयो की जरूरत पूर्ति मे लगे रहते है ओर उनकी मानसिक व शारीरिक स्थिति [illegible] की इस स्थित का कुछ भू–माफिया व विरोधी पक्ष बेजा लाभ उठाते हुये वादीगण [illegible] एक मात्र आजीविका के साधन व स्त्रोत की पुश्तैनी भूमि से वंचित [illegible] झासा व बहकावे मे ले लिया है जिस झासे व बहकावे मे [illegible] प्रतिवादी सं. 1 अप[illegible] परिवार के हित व अधिकारी का हनन कर उन्हें बेजा नुकसान पहूँ[illegible] दर्ज होने नाजायज फायदा उठाते हुये अपने [illegible] है0 अधिक कुल 1.138है [illegible] बेचान कर प्राप्त राशि को अयाशी , [illegible] मे उड़ा देने उपरान्त चक [illegible] एल के प.न.. 125 / 306 मु.न. 18 के कि.न. 5 / 228, 6 / 1 के 0.111, 6 / 2के 0.142है. 15 / 4 के 0 140, 16 / 6 के 0.011, 25 / 2 के 0.010 है.कुल 0.632 है. नहरी / बारानी व प.न. 129 / 308 मु.न

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:51 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

के कि.न. 3-4 प्रत्येक 0.253, कुल 0.506 है बारानी व प.न. 130/308 के मु.न. 28 के कि.न. 6/253, 7/के 0.063, 13/0.03810, 14/0.228, व 15 के 0.253 है कुल 0.835 है नहरी इस प्रकार 1.973 है नहरी/बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम शेष रही है। प्रतिवादी सं. 1 अपनी अयाशी गल्त प्रवृति व नशे की पूर्ति के कारण खुर्द-बुर्द कर चुका है। शेष रही भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम की भूमि में वादीगण बहिस्सा अपने खातेदारी हक वा अधिकार घोषित करवा राजस्व अभिलेखो मे अपने नाम अमलदरामद करवा पाने के कानूनन अधिकारी है, अगर ऐसा नही किया जाता है तो वादीगण के विधिक अधिकारो का हनन होगा व अपूर्णिय क्षति होती। प्रतिवादी सं. 1 विवादित रकबा की भी बिकवाली निकाल ग्राहकों को दिखलाना शुरू कर संभवत बेचान का सौदा कर चुका हैं अथवा जल्दी ही कर हस्तान्तरित कर देगा। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त कृत्य पूर्णतया अवैधानिक व गैरकानूनी है जिसे वादीगण जरिये व्यादेश रोक पाने के कानून अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 विवादित रकबा खुर्द-बुर्द कर वादीगण को आजीविका विहीन व विवादित रकबा में निहित हक व अधिकारो से वंचित कर देगा। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से निरन्तर अनुरोध करते आ रहे है कि वह विवादित रकबा पर उनके खातेदारी हक -हकूक व अधिकारों को स्वीकारते हुये अभिलेखों मे भूमि उनके नाम से अमल दरामद करवाने की कार्यवाही में सहयोग देते हुये स्वय या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को किसी प्रकार से रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने व वादीगण को जबरन, बलपूर्वक विधिविरूध व दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने से वंचित रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात् अंततः दिनांक 20.12.2021 को बमुकाम गाव बारावाली मे वादीगण की किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा को उनके हक व हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा।, यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 2 भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण का वाद-पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि :- प्रतिवादी . 1 द्वारा पुश्तैनी भूमि में निहित अपने भाग 1/3 अर्थात .037 है. से 0.101है. अधिक कुल 1.138है. भूमि अंतरित करने उपरान्त शेष बची विवादित भूमि वाके चक 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर के वाके चक 35 एम एल के प.न.. 125/306 मु.न. 18 के कि.न. 5/.228, 6/1 के 0.111, 6/2के 0.142है. 15/4 के 0.140, 16/6 के 0.011, 25/2 के 0.010 है.कुल 0.632 है नहरी/बारानी व प.न. 129/308 मु.न. 29 के कि.न. 3-4 प्रत्येक 0.253, कुल 0.506 है. बारानी व प.न. 130/308 के मु.न. 28 के कि.न. 6/.253, 7/के 0.063, 13/0.03810, 14/0.228, व 15 के 0.253 है. कुल 0.835 है. नहरी इस प्रकार 1.973 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि पैतृक सम्पति(जद्दी जायदाद)होने से उसमें वादीगण के ब.हि.ब. खातेदारी हक-हकूक व अधिकार घोषित किये जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं.1 पारित की जावे । मुताकि घोषणात्मक राजस्व अभिलेखों में तदनुसार अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे। साथ स्थाई व्यादेश बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 इस आश्य का पारित किय जावे कि वे विवादित रकबा पर वादीगण के कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में बेजा मदाखलत करने वा जबरन, बलपूर्वक, विधिकविरूध व दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने से एवं स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को दिलाना मुनासिब समझे व भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाये जावे। खर्चा मुकदमा भी दिलाया जावे।

वादीगण के द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 पर सम्मन की तामील होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 स्टेट की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया। उसमें कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया । इस पर प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई कि :-

1. आया कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पुश्तैनी [illegible] अपने भाग 1/3 अर्थात् 1.037है से 0.101है. अधिक कुल 1.138[illegible] चक 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर के प.न. 125/306 [illegible] के कि.न. 5/[illegible]6/1 के 0.111, 6/2के 0.142है. 15/4 के 0.140, 16/6 के 0.0[illegible] है नहरी/बारानी व प.न. 129/308 मु.न. 29 के कि.न. 3-[illegible] 0.506 है बारानी व प.न. 130/308 के मु.न. 28 के कि.न. 6/253, 7/के 0.063, 13/0.03810, 14[illegible]228, व 15 के 0.253 है. कुल 0.835 है नहरी इस प्रकार 1.973 है नहरी/बारानी खातेदारी कृषि भूमि पैतृक होने से उसमे वादीगण के ब.हि.ब. खातेदारी हक -हकूक व अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 पारित करवाने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद के अधिकारी है ?

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:51 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

आया कि स्थाई ब्यादेश बहक वादीगण विरूध प्रतिवादी स 1 इस आशय का पारित किया जावे कि प्रतिवादी स 1 विवादित रकबा पर वादीगण के कब्जा काश्त व सिचाई सुविधा मे बेजा मदाखलत करने या जबरन , बलपूर्वक , विधिक विरूद्व व दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने से एव स्वय या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से बेदखल करने एव रहन , बेय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एव रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे. वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—वादीगण

3 आया कि वादीगण प्रतिवादी स 1 की पैतृक सम्पति नहीं है ?

—वादीगण

4 अनुतोष न्यायालय की आज्ञा से ?

— प्रतिवादी स 2

वादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य मे वादी स्वय यशवीर पुत्र श्री सुशील कुमार व सिद्वात पुत्र सुशील कुमार के शपथ –पत्र प्रस्तुत किये गये है। दस्तावेज सूची मे वाके चक 35 एल एल की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता न 140 , भू प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी के खाता न 39/32 व 30/33, भजन लाल पुत्र बगडावत , वाके चक 35 एम एल की जमाबन्दी सम्वत् 2027 –2030 के खाता न 17 बडावत् पुत्र भोमा , वाके चक 35 एम एल की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता न 156/127 के मु न 7–8–28–सुशील कुमार पुत्र भजन लाल , के नाम की प्रस्तुत की है साथ मे आधार स 224549648246यशवीर पुत्र श्री सुशील कुमार, सिद्वात पुत्र श्री सुशील कुमार,एव बैयनामा दिनाक 17.10.2019 सुशील कुमार बहक सीताराम व सन्तोष कुमार आदि ,बैयनामा दिनाक 10.11.2017 सुशील कुमार बनाम प्रमोद कुमार व वेदप्रकाश के नाम की फोटो प्रस्तुत की है।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने विवादित भूमि पैतृक सम्पति जायदाद है। जो प्रतिवादी स 1 को अपने पिता/दादा से प्राप्त हुई । जिसमे वादीगण अपना हिस्सा अर्थात 1/3 यानि प्रतिवादी स 1 के साथ बहि.बराबर प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण के पिता प्रतिवादी स.1 अपनी बुरी आदतो के कारण विवादित भूमि में से 1.138 है. भूमि बेचान कर चुका है। शेष बची भूमि 1.973 है. भूमि को भी बेचान करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादी स. 1 अपने इरादे मे कामयाब हो गया तो वादीगण को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। अगर प्रतिवादी स. 1 को कोई एतराज होता तो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता। कोई विरोध प्रकट नहीं किया। अतः वादीगण का वाद–पत्र डिक्री फरमाया वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे।

वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकी बार निम्न प्रकार से है कि :–

1. **आया कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1** द्वारा पुश्तैनी भूमि मे निहित अपने भाग 1/3 अर्थात् 1.037है से 0.101है. अधिक कुल 1.138है0 भूमि अंतरित करने पश्चात् वाके चक 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर के प.न.. 125/306 मु.न. 18 के कि.न. 5/228, 6/1 के 0.111, 6/2 के 0.142है 15/4 के 0.140, 16/6 के 0.011, 25/2 के 0.010 है.कुल 0.632 है. नहरी/बारानी व प.न. 129/308 मु.न. 29 के कि.न. 3–4 प्रत्येक 0.253, कुल 0.506 है बारानी व प.न. 130/308 के मु.न 28 के कि.न. 6/253, 7/के 0.063, 13/0.03810 , 14/0.228, व 15 के 0.253 है. कुल 0.835 है नहरी इस प्रकार 1.973 है. नहरी/बारानी खातेदारी कृषि भूमि पैतृक होने से उसमे वादीगण के ब हि.ब. खातेदारी हक –हकूक व अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी विरूद्व प्रतिवादी स 1 पारित करवाने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद के अधिकारी है ?

—वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण अपने वाद पत्र में स्वीकार करते है कि उक्त विवादित भूमि चक 35 एम एल तहसील रायसिहनगर के प.न.. 125/306 मु.न. 18 के कि.न 5/228, 6/1 के 0.111, 6/2 के 0.142है. 15/4 के 0.140, 16/6 के 0.011, 25/2 के 0.010 है कुल 0.632 है. नहरी/बारानी व प.न. 129/308 मु.न. 29 के कि.न. 3–4 प्रत्येक 0.253, कुल 0.506 है. बारानी व प.न. 130/308 के मु.न. 28 के कि.न. 6/253, 7/के 0.063, 13/0.03810 , 14/0.228, व 15 के 0.253 है. कुल 0.835 है. नहरी इस प्रकार 1.973 है नहरी/बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी वादीगण के द्वारा प्रस्तुत की है। यह तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ –पत्र यशवीर पुत्र श्री सुशील कुमार व सिद्वात पुत्र श्री सुशील कुमार मे स्वीकार किया है तथा विवादित रकबा 3.111 है. में से 1.138 है. भूमि बेचान कर शेष भूमि 1.973 है. रही है। प्रतिवादी स 1 के द्वारा बेचान किया गया रकबा के बेयनामा की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की है। जिसे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी स 1 के द्वारा बेचान किया जा चुका है। उक्त रकबा बाबत कोई एतराज होता तो प्रतिवादी स 1 न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर प्रस्तुत करता. लेकिन उसके द्वारा ऐसा नही किया गया। विवादित भूमि प्रतिवादी स 1 को अपने पिता भजन लाल से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक होता है। जिसकी जमाबन्दी भी वादीगण के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:51 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त सम्पति पैतृक सम्पति है। इसके खण्डन में प्रतिवादी के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। विवादित भूमि मे वादीगण का भी हिस्सा जन्म से है जिसमे वादीगण का हिस्सा विवादित भूमि मे ब हि.बराबर प्रतिवादी स.1 के साथ बनता है। जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के खिलाफ किया जाता है।

या कि स्थाई ब्यादेश बहक वादीगण विरूध प्रतिवादी सं. 1 इस आशय का पारित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 विवादित रकबा पर वादीगण के कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में बेजा मदाखलत करने वा जबरन , बलपूर्वक , विधिक विरूद्ध व दोषपूर्ण तरीक से बेदखल करने से एवं स्वय या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से बेदखल करने एवं रहन , बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे, वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी का अधिकतर निर्णय तनकी न 1 में किया जा चुका है। विवादित भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसका फायदा उठा कर उक्त आराजी अन्य किसी को बैचान कर देता है तो इससे नुकसान प्रतिवादी स. 1 को न होकर वादीगण को होगा। उक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमे वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 साथ बहि.बराबर का हक बनता है। उक्त आराजी प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज होने पर अन्य किसी को बेचान व अन्य तरीक से हस्तान्तरित करता है तो इससे नुकसान वादीगण को होगा। ऐसा में प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि विवादित रकबा पर वादीगण के कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में बेजा मदाखलत करने वा जबरन , बलपूर्वक , विधिक विरूद्ध व दोषपूर्ण तरीक से बेदखल करने से एवं स्वय या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से बेदखल करने एव रहन , बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे, वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

3. **आया कि वादीगण प्रतिवादी स. 1** की पैतृक सम्पति नहीं है ? — **प्रतिवादी स. 2**

इस तनकी को सिद्व करने भार प्रतिवादी सं. 2 पर था। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जबाव दावा में कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। इस तनकी का निर्णय अधिक तर तनकी नं.1 मे किया जा चुका हैं। इस तनकी का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

—: कियान्वयन आदेश :—

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद—पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके चक 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर के प.न. 125/306 मु.न. 18 के कि.न 5/.228, 6/1 के 0.111, 6/2 के 0.142है. 15/4 के 0.140, 16/6 के 0.011, 25/2 के 0.010 है.कुल 0.632 है. नहरी/बारानी व प.न. 129/308 मु.न. 29 के कि.न. 3—4 प्रत्येक 0.253, कुल 0.506 है. बारानी व प.न. 130/308 के मु.न. 28 के कि.न. 6/.253, 7/के 0.063, 13/0.03810, 14/0.228, व 15 के 0 253 है. कुल 0.835 है. नहरी इस प्रकार 1.973 है. नहरी/बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 के नाम से खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी स. 1 के साथ वादीगण यशवीर व सिद्वात को बहि.बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 30.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:51
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर